

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
क्षेत्रीय कार्यालय, 25-सुभाष रोड़,  
देहरादून।

विषय:- जनपद-चमोली के अन्तर्गत गोचर सिदौली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.23 हे० मोटर मार्ग के सम्बन्ध में।  
**FP/UK/ROAD/12951/2015**

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के EDS  
दिनांक 17-03-2018

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 17-03-2018 के सम्बन्ध में  
उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रयोक्ता द्वारा बिन्दुवार आख्या  
निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
1	In response to Point No. 4 of previous EDS dated 06.12.2017 related to tree enumeration, it is found that the number of trees now uploaded online at Sl No. 4, Part II is 116, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 230. Hence there is a discrepancy.	उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट II में उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया गया है।
2	In response to Sl No. 5 of this office EDS dated 06.12.2017 related to submission of original hard copy of document the State Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 05-09-2016, which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 05-09-2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and /or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कॉपी पत्रांक सं० 17-03-2018 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।
3	In the component break-up uploaded a Para 2.4 Part I online, it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	कम्पोनेन्ट वाईज ब्रेकअप में मोटर मार्ग का उल्लेख प्रस्तावक विभाग द्वारा कर दिया गया है।
4	In response to EDS Point No. 4, it is observed that the patches of CA are not marked on Survey of India toposheet map uploaded online in Part - II.	उक्त आपत्ति का निराकरण पार्ट II में उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर के स्तर से किया गया है।

5	<p>Upon DSS analysis, it is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. It is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.715 ha.</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वार अवगत कराया गया है, कि वन भूमी प्रस्ताव का क्षेत्र कुल 2.230 हे० है। जिसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 हे० क्षेत्रफल में भूमि ली गयी है। पूर्व चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 हे० भूकम (झिरकोटी लगगा सिन्द्रवाणी) में 2.00 भूमि में साधन वन होने के कारण 2.00 हे० अतिरिक्त भूमि ग्राम बौला सेरा में ली गयी है। सी.ए हेतु 2 स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। अतः उपरोक्तानुसार दोनो ज़डर मैप सही हैं।</p>
6	<p>Hard copy of the proposal has not been submitted so far.</p>	<p>प्रस्ताव की मूल कॉपी पत्रांक सं० 17-03-2018 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।</p>

भवदीय,



(एच.के. सिंह)

वन संरक्षक

कार्यालय-नोडल कार्यालय